पत्रांक–13/विनष्टीकरण/अधिहरण/नीलामी–SOP/12–02/2025–809.

बिहार सरकार

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

अजय यादव, (भा०प्र०से०)

सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक :– 03.02.26

विषय :–बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 अन्तर्गत जब्त शराब, वाहन एवं भूमि के विनष्टीकरण, अधिहरण एवं नीलामी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 अन्तर्गत जब्त शराब के विनष्टीकरण, वाहनों/भूमि के अधिहरण एवं नीलामी हेतु जिलों में भिन्न–भिन्न प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

अतः जिलों में अपनायी जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता हेतु विभागीय स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर प्रेषित की जा रही है ताकि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 अन्तर्गत जब्त शराब, वाहन एवं भूमि का निष्पादन सुगम एवं स्पष्ट रूप से हो सके।

अनुरोध है कि विनष्टीकरण, अधिहरण एवं नीलामी की प्रक्रिया इस SOP के आधार पर संचालित की जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :–यथोक्त।

(अजय यादव)

सचिव

ज्ञापांक–13/विनष्टीकरण/अधिहरण/नीलामी–SOP/12–02/2025–809 पटना, दिनांक–03.02.26

प्रतिलिपि :–संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध सभी अधीक्षक मद्यनिषेध बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक–13/विनष्टीकरण/अधिहरण/नीलामी–SOP/12–02/2025–809 पटना, दिनांक–03.02.26

प्रतिलिपि :–सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

P.T.O

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 अन्तर्गत जब्त शराब के विनष्टीकरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57(ए) सहपठित बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 (यथा संशोधित) के नियम–14 के अन्तर्गत जब्त वस्तुएँ विशेष कर मादक द्रव्यों को नष्ट करने का प्रावधान है।

1. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 (यथा संशोधित) के नियम–14 की उपधारा (1) में स्पष्ट वर्णित है कि यदि समाहर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को समाधान हो जाए कि कोई जब्त वस्तु तेजी से और प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सकती है, या तुच्छ मूल्य का है, या इसका दुरूपयोग किया जा सकता है, या लोक सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाला है, या सार्वजनिक स्थान लेने वाला है तो वह अधिनियम की धारा–57 और 57 (क) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिहरण का आदेश पारित करने के पूर्व उसे नष्ट करने का आदेश दे सकेगा। समाहर्त्ता या सम्बद्ध पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जब्त शराब को लम्बे समय तक भंडारित रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे सुनिश्चित करेंगे कि उक्त शराब को रसायन परीक्षक का रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसकी जब्ती के 15 दिनों के अन्दर नष्ट कर दिया जाए।
2. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 अन्तर्गत शराब की जब्ती के उपरान्त नियमानुसार जब्त शराब का ब्राण्डवार, बैचवार अर्थात् विस्तृत विवरणी के साथ विहित प्रपत्र में जब्ती सूची तैयार की जाए। (अनुलग्नक--1)
3. जब्त शराब का दो सैंपल तैयार कर विदेशी शराब के मामले में एक सैंपल उत्पाद रसायन परीक्षक को एवं देशी शराब के मामले में एक सैंपल जिला उत्पाद कार्यालय को रसायनिक विश्लेषण हेतु भेजा जाए। एक सैंपल को कार्यालय में कांड विवरणी के साथ सुरक्षित रखा जाए।
4. अनुसंधानकर्त्ता द्वारा शराब जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त जब्त शराब का विनष्टीकरण आदेश प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र में संबंधित पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक मद्यनिषेध को प्रस्ताव समर्पित किया जाए। (अनुलग्नक–2) *(मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57)* तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक मद्यनिषेध द्वारा उपलब्ध सभी कांडो का एक समेकित अग्रसारण तैयार करते हुए विनष्टीकरण हेतु स्पष्ट अनुशंसा सहित समाहर्त्ता से अनुरोध किया जाए। *(मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57ए(4)* (अनुलग्नक–3)
5. जिला पदाधिकारी द्वारा विनष्टीकरण हेतु विस्तृत आदेश पारित किया जाए। आदेश में विनष्टीकरण का स्थल, तिथि एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से

की जाए एवं इस आशय की सूचना प्रतिनियुक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी को ससमय उपलब्ध करायी जाए। **(अनुलग्नक–4)**

6. विनष्टीकरण हेतु स्थान चयन करने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस स्थान का चयन किया गया है वह पर्यावरण के अनुकूल हो एवं किसी निजी व्यक्ति की सम्पत्ति न हो। **(अनुलग्नक–5)**
7. विनष्टीकरण की तिथि को निर्धारित समय पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, अधीक्षक मद्यनिषेध या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी एवं सभी संबंधित अनुसंधानकर्त्ता विनष्टीकरण से पूर्व जब्ती सूची से शराब की मात्रा का भौतिक रूप से मिलान करेंगे। **(अनुलग्नक–6)**
8. तत्पश्चात् शराब को विनष्ट किया जाए एवं सम्पूर्ण विनष्टीकरण प्रक्रिया का विडियो रिकार्डिंग सुरक्षित रखा जाए।

   {मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57ए(4) }
9. यथासंभव जब्त शराब के विनष्टीकरण की प्रक्रिया जप्ती की तिथि से 15 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाए। ***{मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम–14 (1) }***
10. शराब विनष्टीकरण के उपरान्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, अधीक्षक मद्यनिषेध या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के अतिरिक्त विनष्टीकरण में उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र **(अनुलग्नक–7)** प्राप्त कर लिया जाए एवं इसे संबंधित केस की विवरणी के साथ संचिका में सुरक्षित रखा जाए।
11. शराब विनष्टीकरण प्रतिवेदन आरोप–पत्र के साथ अनिवार्य रूप से विशेष उत्पाद न्यायालय में समर्पित किया जाए।
12. विनष्टीकरण के उपरान्त Recyclable अवशेषों को स्थानीय स्तर पर निष्पादित कर प्राप्त राशि (यदि कोई हो तो) सरकारी खजाने में मासिक रूप से जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।
13. विनष्टीकरण के उपरान्त स्थल को उपयुक्त तरीके से सफाई / निष्पादन किया जाए ताकि किसी प्रकार का विवाद या अप्रिय घटना न हो।

(अजय यादव)
सचिव

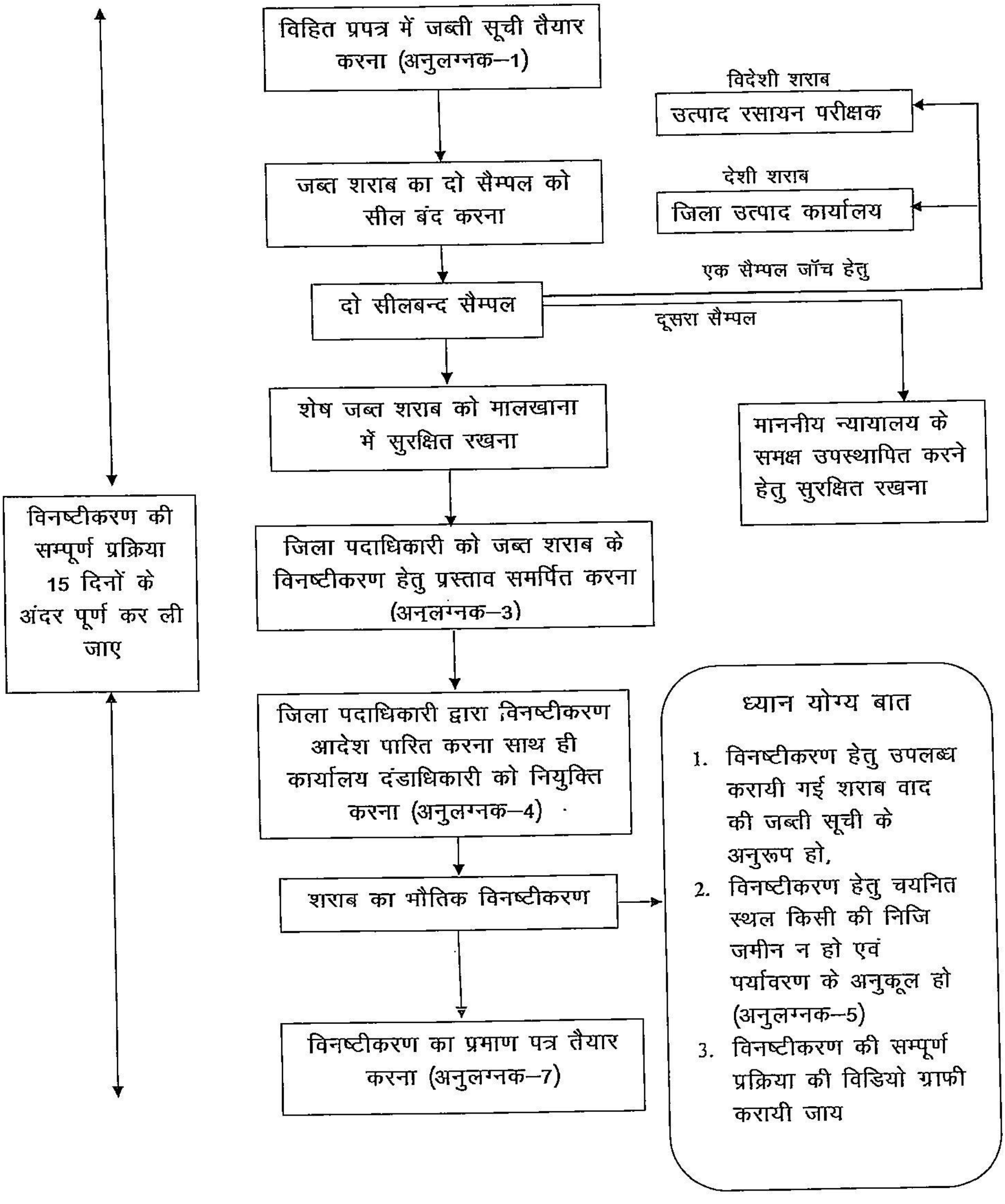
विहित प्रपत्र में जब्ती सूची तैयार करना (अनुलग्नक–1)
जब्त शराब का दो सैम्पल को सील बंद करना
दो सीलबन्द सैम्पल
एक सैम्पल जॉच हेतु
विदेशी शराब
उत्पाद रसायन परीक्षक
देशी शराब
जिला उत्पाद कार्यालय
दूसरा सैम्पल
माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करने हेतु सुरक्षित रखना
शेष जब्त शराब को मालखाना में सुरक्षित रखना
विनष्टीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया 15 दिनों के अंदर पूर्ण कर ली जाए
जिला पदाधिकारी को जब्त शराब के विनष्टीकरण हेतु प्रस्ताव समर्पित करना (अनुलग्नक–3)
जिला पदाधिकारी द्वारा विनष्टीकरण आदेश पारित करना साथ ही कार्यालय दंडाधिकारी को नियुक्ति करना (अनुलग्नक–4)
शराब का भौतिक विनष्टीकरण
विनष्टीकरण का प्रमाण पत्र तैयार करना (अनुलग्नक–7)
ध्यान योग्य बात
1. विनष्टीकरण हेतु उपलब्ध करायी गई शराब वाद की जब्ती सूची के अनुरूप हो,
2. विनष्टीकरण हेतु चयनित स्थल किसी की निजि जमीन न हो एवं पर्यावरण के अनुकूल हो (अनुलग्नक–5)
3. विनष्टीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियो ग्राफी करायी जाय

अनुलग्नक–1

1. Search & Seizure----------------(Process)

तलाशी–सह–जब्ती सूची

प्रेषक,

1 जब्ती की तिथि :–

2. जब्ती का स्थान :–

3. गवाहों का नाम एवं पता :–

4. जब्त सामानों (प्रदर्शों का विवरण) :–

(क) बरामद / जब्त विदेशी शराब

क्रम	ब्राण्ड	निर्माण करने वाली ईकाई (फैक्ट्री का नाम, पता एवं राज्य)	किस राज्य में बिक्री या आपूर्त्ति किया जाना है	प्रति बोतल में शराब की मात्रा (एम0एल0 में)	कार्टूनों की संख्या	बोतलों की कुल संख्या	शराब की कुल मात्रा (ली0 में)	बैच नं0 / निर्माण की तिथि	क्यू आर0 कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(ख) बरामद / जब्त वाहन

क्रम	वाहन का प्रकार	पंजीयन संख्या	ईंजन नं0 (यदि नं0 टैम्पर/इरेज्ड एवं अस्पष्ट हो तो इसका उल्लेख करें)	चेसिस नं0 (यदि नं0 टैम्पर/इरेज्ड एवं अस्पष्ट हो तो इसका उल्लेख करें)	अभ्युक्ति (वाहन से संबंधित कागजात यथा ऑनर बुक, इन्श्योरेन्स पेपर, परमिट, प्रदुषण, फिटनेस, टैक्स टोकन, टॉल प्लाजा रसीद, पेट्रोल पम्प रसीद, अतिरिक्त नं0 प्लेट, वाहन पर अंकित मालिक/ट्रांसपोर्टर एवं पेन्टर आदि का नाम, पता, मोबाईल नं0 का उल्लेख एवं वाहन पर लदे अन्य सामानों से संबंधित चालान/विल्टी/इन्वॉयस आदि उपलब्ध हो तो जब्त करें एवं उल्लेख करें।)
1	2	3	4	5	6

(ग) बरामद / जब्त मोबाईल

क्रम	बरामद/जब्त मोबाईल सेट (किनके पास से/सीन से बरामद)	मोबाईल फोन सर्विस प्रोभाईडर	मोबाईल सेट का मॉडल/कम्पनी/सिम नम्बर	मोबाईल में प्रयुक्त मोबाईल नम्बर	IMEI No.
1	2	3	4	5	6

(घ) बरामद / अन्य सामानः–

वाहन पर लदे अन्य सामान, चालक/खलासी से बरामद कागजात इत्यादि से संबंधित विवरणीः–

5. गवाहों के हस्ताक्षर :–

:–

6. जब्त करने वाले पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–

नोट– घटना में शामिल गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का हस्ताक्षर/अंगुठा का निशान लेना आवश्यक है।:–

शराब विनष्टीकरण हेतु प्रस्ताव का प्रपत्र (अनुलग्नक–2)

थाना का नाम...........................

क्र0 सं0	दर्ज FIR सं0 एवं दिनांक	गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी का नाम	गिरफ्तार व्यक्ति का नाम	जब्त शराब की मात्रा	जॉच हेतु सुरक्षित रख गये शराब की मात्रा	विनष्टीकरण हेतु प्रस्तावित शराब की मात्रा	उत्पाद रसायन परीक्षक / जिला उत्पाद कार्यालय का जॉच प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

<u>अनुलग्नक—3</u>

कार्यालय का नाम।

पत्रांक :................... दिनांक.........................

प्रेषक,

वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक
सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध,
जिला का नाम।

सेवा में,

समाहर्त्ता—सह—जिला पदाधिकारी
जिला का नाम।

विषयः—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (समय समय पर संशोधित) के अधीन जप्त अवैध शराब के अधिहरण एवं विनष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि पुलिस/मद्यनिषेध पदाधिकारी........... ....द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक..................को छापेमारी के क्रम में................ ...लीटर अवैध चुलाई शराब /देशी शराब /विदेशी शराब /सुषव जप्त की गयी है। जब्त अवैध शराब/सुषव का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0	अवैध चुलाई शराब /देशी शराब /विदेशी शराब /सुषव	जप्त शराब/सुषव की मात्रा (ली0 में)	जॉच किए गए शराब की मात्रा (ली0 में)	विनष्टीकरण योग्य शराब की मात्रा (ली0 में)	अभ्युक्ति
1					—

जब्त सामग्री की विधिवत जप्ती सूची तैयार करते हुए थाना कांड संख्या—.................... दिनांक—..............दर्ज किया गया है। प्रस्तुत मामलो में शराब का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में जप्त......................... अवैध चुलाई शराब/देशी शराब/विदेशी शराब/सुषव का बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत अधिहरण एवं विनष्टीकरण का आदेश देने की कृपा की जाय। इससे संबंधित विस्तृत प्रस्ताव, अनुशंसा एवं मंतव्य इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक :—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम)

अनुलग्नक–4

सांकेतिक

IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGESTRATE AND COLLECTOR (District Name)
FORM OF ORDER SHEET

विनष्टीकरण वाद सं0–................/(वर्ष)

<table>
<tr><th>Serial No.</th><th>Date of order or proceeding</th><th>Order with the signature of the Court</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Date</td><td>
आदेश
वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध के द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत अवैध शराब का विनष्टीकरण कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>पत्रांक एवं दिनांक</th><th>थाना कांड सं0</th><th>जब्त शराब की मात्रा</th><th>रसायन जाँच हेतु शराब की मात्रा</th><th>विनष्टीकरण योग्य शराब की मात्रा</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6 (4–5)</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध के द्वारा जब्त शराब के नमूने की जाँच के बाद अवैध शराब का विनष्टीकरण कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न कांड समर्पित कागजातों के अवलोकन से यह मानने का पर्याप्त आधार है कि उपर्युक्त कांडों में जब्त शराब अवैध है और मालखाना में अधिक समय तक रखे जाने पर दुरूपयोग/दुर्गन्ध/ज्वलनशील/अनैतिक व्यापार होने की संभावना प्रबल है।
अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों एवं मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशो के आलोक में उपर्युक्त तालिका के कॉलम–6 में वर्णित अवैध शराब को विनष्ट कराने का आदेश दिया जाता है।
अवैध शराब का विनष्टीकरण कराने हेतु (कार्यपालक दंडाधिकारी का नाम
</td><td></td></tr>
</table>

एवं पद नाम) को कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(कार्यपालक दंडाधिकारी का नाम एवं पद नाम) एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध अपनी निगरानी में अवैध शराब का विनष्टीकरण कराएंगे और विनष्टीकरण के पूर्व शराब की मात्रा का सत्यापन करेंगे। विनष्टीकरण के पश्चात् सभी पदाधिकारीगण विहित प्रपत्र में विनष्टीकरण प्रमाण पत्र तैयार कर सभी संबंधितों को एक–एक प्रति उपलब्ध कराएंगे तथा एक प्रति कांड विवरणी के साथ संचिका में सुरक्षित रखी जाएगी।

पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी कराई जाएगी एवं इस विडियोग्राफी की प्रति भी संचिका में सुरक्षित रखी जाएगी।

विनष्टीकरण हेतु (निर्धारित स्थल, दिनांक एवं समय) निर्धारित की जाती है।

वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध अपनी निगरानी में जब्त अवैध शराब को (विनष्टीकरण स्थल) पर लाएंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका विनष्टीकरण कराएंगे। यदि इसमें कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। विनष्टीकरण के पश्चात् शेष बचे काँच व प्लास्टिक इत्यादि कचरे को पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियमों के आलोक में निष्पादन करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/ अधीक्षक मद्यनिषेध, सभी संबंधित थानाध्यक्ष एवं (कार्यपालक दंडाधिकारी का नाम एवं पद नाम) को उपलब्ध करायी जाए।

समाहर्त्ता,
(जिला का नाम)

अनुलग्नक—5

शराब विनष्टीकरण हेतु चयनित स्थल के लिए

CHECKLIST:

1. किसी व्यक्ति का निजी परिसर न हो — **Yes / No**
2. पर्यावरण के अनुकूल हो — **Yes / No**
3. घनी आबादी वाला क्षेत्र — **Yes / No**

अनुलग्नक–6

क्र०	प्राथमिकी संख्या	जब्ती सूची के अनुसार जब्त शराब की मात्रा	सैंपल / रासायनिक जांच हेतु शराब की मात्रा	शेष शराब की मात्रा (3 - 4)	भौतिक रूप से विनष्टीकरण हेतु उपलब्ध कराये गए शराब की मात्रा
1	2	3	4	5	6

अनुसंधानकर्ता का हस्ताक्षर   उत्पाद पदाधिकारी का हस्ताक्षर   पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर   कार्यपालक दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–7

विनष्टीकरण प्रमाण पत्र

थाना–......................

कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, ... के न्यायालय द्वारा विनिष्टीकरण वाद सं0–............. एवं ज्ञापांक ....दिनांक...................में दिये गये निर्देश के आलोक में आज दिनांक–...................... को ....(स्थान)................................में ....(कार्यपालक दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम)..............के उपस्थिति में नीचे लिखे कांड संख्या के सामने अंकित प्रदर्श को विनष्ट किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	थाना कांड सं0	राज्य बनाम	देशी शराब (ली0में)	विदेशी शराब (ली0में)	बीयर (ली0 में)	मशालेदार देशी शराब (ली0में)	चुलाई शराब (ली0में)	स्प्रीट (ली0में)	महुआ फुल (कि0ग्रा0 में)	पेकिंग रैपर (कि0ग्रा0 में)	सैचेटिंग मशीन	जांच में विनष्ट प्रदर्श (ली0में)	विनष्टीकरण योग्य प्रदर्श (ली0में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

अनुसंधानकर्त्ता का हस्ताक्षर

उत्पाद पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कार्यपालक दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 अन्तर्गत जब्त वाहनों की नीलामी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 (5) सहपठित बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम–14 (2) के अन्तर्गत अधिहरित वाहनों की नीलामी का प्रावधान है।

1. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 अन्तर्गत अधिहरित वाहनों का निष्पादन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम–14 (2) के आलोक में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। वाहनों की नीलामी **परिसमाप्ति/Finality** की तिथि से 01 (एक) माह या ऐसी बढ़ी हुई तिथि जो जिला पदाधिकारी उचित समझे, के अन्दर सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा। **''परिसमाप्ति''** की तिथि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–92 के अधीन उत्पाद आयुक्त द्वारा पारित आदेश की तिथि होगी।
2. **अधिसूचना संख्यां–9059 दिनांक–30.11.2022 के आलोक में प्रावधान है कि :–**

   (क) जहाँ कोई व्यक्ति/मालिक पर्याप्त सूचना के बावजूद अधिहरण की कार्यवाही में समाहर्त्ता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुआ है, और

   (ख) जहाँ अधिहरण का आदेश एकपक्षीय पारित किया गया हो, और

   (ग) जहाँ वस्तु की जब्ती के 90 दिन बीत चुके हो, और कोई व्यक्ति/वाहन मालिक न तो समाहर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या आयुक्त उत्पाद से सम्पर्क स्थापित किया हो और न ही कोई सूचना दिया हो।

   ऐसे मामलों में आयुक्त उत्पाद, समाहर्त्ता के प्रतिवेदन पर समाहर्त्ता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को सार्वजनिक नीलामी करने हेतु आदेश दे सकेगा।
3. उपरोक्त के आलोक में सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध द्वारा नीलामी योग्य वाहनों की सूची विहित प्रपत्र में तैयार किया जाए। (अनुलग्नक–1)
4. नीलामी हेतु वाहनों को सूचीबद्ध करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहन की नीलामी अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई पर किसी भी न्यायादेश से रोक न लगा हो। उक्त सत्यापन के उपरान्त ही वाहनों की नीलामी की अग्रेतर प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
5. नीलामी योग्य वाहनों का मूल्यांकन जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक की समिति द्वारा किया जाए। (अनुलग्नक–2)

6. उपर्युक्त समिति द्वारा वाहनों का भौतिक सत्यापन (फोटोग्राफी के साथ) करते हुए वाहनों का मूल्यांकन उसके निबंधन तिथि, निबंधन के समय वाहन का मूल्य, वाहन का मॉडल, नीलामी के समय बीमा मूल्य, वाहन की वास्तविक स्थिति एवं अन्य तकनीकी पहलू के आधार पर किया जायेगा।

7. समिति द्वारा समर्पित वाहनों के मूल्यांकन से संबंधित प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाए। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तथा समीक्षा के उपरान्त मूल्य पर सहमत होते हुए प्रस्ताव को स्वीकृत किया जायेगा।

वाहनों के मूल्य निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर पुनः संबंधित वाहन को जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी / अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को दिया जायेगा। इस हेतु जिला स्तर पर गठित समिति निम्नवत् है :–

(क) जिला पदाधिकारी –अध्यक्ष

(ख) जिला परिवहन पदाधिकारी –सदस्य

(ग) जिला लेखा पदाधिकारी –सदस्य

(घ) उत्पाद अधीक्षक–सदस्य सचिव

(ड़) मोटरयान निरीक्षंक –सदस्य

यथासंभव प्रत्येक सप्ताह समिति की बैठक आहूत की जाए।

(परिवहन विभाग का आदेश–106 दिनांक–04.01.2024)

8. वाहनों के मूल्य निर्धारण के उपरान्त सभी वाहन स्वामियो को वाहन की नीलामी के संबध में स्पीड पोस्ट/ई–मेल के माध्यम से व्यक्तिगत नोटिस भेजा जाए ताकि नीलामी के संबंध में वह अपना विधिसम्मत् पक्ष ससमय रख सके। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही नीलामी की अग्रेतर कार्रवाई की जाए। **(अनुलग्नक–3)**

9. जिन वाहनों का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त न हो उनकी नीलामी की सूचना वाहन स्वामी के नियमित पते के जिलो के व्यापक प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्र में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए। **(अनुलग्नक–4)**

10.नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया करने के उपरान्त वाहन की विस्तृत विवरणी यथा वाहन का मॉडल, मेक, ईंजन नं0, चेसिस नं0 इत्यादि के साथ–साथ वाहन की भौतिक अवस्थिति, निर्धारित न्यूनतम मूल्य एवं फोटोग्राफ के साथ सूची नीलामी हेतु उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ साझा किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन के फोटोग्राफ में निबंधन सं0 अनिवार्य रूप से दृष्टिगत हो।

(अनुलग्नक–5)

11.वाहनों की Manual अथवा Online नीलामी की जाएगी नीलामी हेतु वाहनो की सूची वाहनस्वामी के नियमित पते के व्यापक प्रचार प्रसार वाले समाचार पत्र में/Online Portal पर प्रकाशित की जाएगी। नीलामी की प्रक्रिया को त्वरित एवं सरल बनाने हेतु नीलामी समूह में की जा सकती है।

12.वाहनों की तीन नीलामी लगातार एक निश्चित अंतराल (सात दिन) पर की जाए।

(बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली के नियम–14 (3)

13.तीन बार नीलामी के उपरान्त भी यदि किसी वाहन की बिक्री नहीं हो पाती है तो उस वाहन की नीलामी “As Is Where is Basis” पर की जाए। “As Is Where is Basis” पर प्रत्येक नीलामी में वाहनों के मूल्य को 10% कम करते हुए तब तक नीलामी की जाए जब तक वाहन नीलाम न हो जाए।

14. 20 वर्षों से अधिक के वाहनों की अनिवार्य रूप से स्क्रैप नीलामी की जाए।

15. स्क्रैप नीलामी हेतु भी वाहनों का मूल्यांकन परिवहन विभाग के आदेश सं0–106 दिनांक–04.01.2024 के आलोक में कराया जाएं।

16. नीलामी में सफल उम्मीदवार को ई–मेल/फोन के माध्यम से सूचना दी जाए।

17. नीलामी में सफल उम्मीदवार से 07 दिनों के अंदर भुगतान एकत्र किया जाए, स्वीकृति पत्र एवं वितरण आदेश निर्गत किया जाए और 02 दिनों के अंदर राशि अधीक्षक/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध के खाते में जमा किया जाए।

18. नीलामी से प्राप्त राशि को सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध द्वारा कोषागार चालान के (Form BTC-4) के माध्यम से अतिशीघ्र बिहार सरकार के मुख्य शीर्ष–0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष–60 अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियाँ, उप शीर्ष–0020 अन्य मदें में जमा किया जाए।

(अजय यादव)
सचिव

वाहन नीलामी

अधिहरण

वादी उपस्थित

एक पक्षीय

90 दिन (अपील अवधि)

अपील आदेश (Finality)

अधिसूचना संख्या–9059 दिनांक–30.11.2022 के आलोक में प्रावधान है कि:–

(क) जहाँ कोई व्यक्ति/मालिक पर्याप्त सूचना के बावजूद अधिहरण की कार्यवाही में समाहर्त्ता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष पेश नहीं हुआ है और

(ख) जहाँ अधिहरण का आदेश एकपक्षीय पारित किया गया हो और

(ग) जहाँ वस्तु की जब्ती के 90 दिन बीत चुके हो, और कोई व्यक्ति/वाहन मालिक न तो समाहर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या आयुक्त उत्पाद से सम्पर्क स्थापित किया हो और न ही कोई सूचना दिया हो।

ऐसे मामलों में आयुक्त उत्पाद, समाहर्त्ता के प्रतिवेदन पर समाहर्त्ता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को सार्वजनिक नीलामी करने हेतु आदेश दे सकेगा।

नीलामी योग्य वाहनों की सूची।
विहित प्रपत्र–(अनलग्नक–1)

नीलामी की सूचना वाहनस्वामी को स्पीडपोस्ट के माध्यम से दिया जाए
(**Insurance** पेपर एवं स्वामित्व का कागजात के साथ उपस्थित रहने का निदेश।)

मूल्यांकन हेतु

MVI और DTO की समिति

Valuation

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति

प्रकाशन की कार्रवाई

विहित प्रपत्र में सूची उपलब्ध करायी जाए

पोर्टल से वाहन की Offline/ Online नीलामी

3 सामान्य नीलामी

As is Where is basis पर

प्रत्येक नीलामी में वाहन के मूल्य को 10 प्रतिशत घटाये जब तक वाहन नीलाम न हो जाए।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016, 2018 एवं 2022 के तहत नीलामी योग्य वाहनो की विवरणी।

अनुलग्नक–1

जिला का नाम...............................

क्र0 सं0	जमा करने वाले विभाग का नाम पुलिस/उत्पाद	दर्ज FIR सं0 एवं दिनांक	वाहन का विवरणी				अधिहरण आदेश की विवरणी			वह स्थान जहाँ वाहन को भौतिक रूप से रखा गया है		वाहन का चारो दिशाओ से ली गई फोटो जिसमें वाहन का पंजीयन संख्या दिख रहा हो	वाहनों की नीलामी हेतु नामित नोडल पदाधिकारी एवं उनका मोबाईल नं0	वाहन स्वामी का नाम	अभियुक्ति
			वाहन का प्रकार (2 पहिया/3 पहिया/4 पहिया/ट्रक/कंटेनर)	वाहन पंजीयन संख्या	चेचिस संख्या	ईंजन संख्या	Court का नाम	अधिहरण वाद संख्या	अधिहरण आदेश की तिथि	पुलिस/उत्पाद थाना का नाम	स्थल का सम्पूर्ण विवरण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															

वाहन मूल्यांकन हेतु प्रपत्र (अनुलग्नक–2)

जिला का नाम..............................

क्र0 सं0	जब्त करने वाले विभाग का नाम पुलिस/उत्पाद	दर्ज FIR सं0 एवं दिनांक	वाहन का विवरणी				वह स्थान जहाँ वाहन को भौतिक रूप से रखा गया है		वाहन का चारो दिशाओ से ली गई फोटो जिसमें वाहन का पंजीयन संख्या दिख रहा हो	वाहन स्वामी का नाम	वाहन बीमा पेपर (यदि हो तो)	वाहन का मूल्य	अभियुक्ति
			वाहन का प्रकार (2 पहिया/3 पहिया/4 पहिया/ट्रक/कंटेनर)	वाहन पंजीयन संख्या	चेचिस संख्या	ईंजन संख्या	पुलिस/उत्पाद थाना का नाम	स्थल का सम्पूर्ण विवरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I													

अनुलग्नक–3 | सांकेतिक

कार्यालय का नाम
जिला का नाम

पत्रांक–.................... दिनांक–...............................

नोटिस,

वाहन स्वामी का नाम –

पता – ....,

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप आपका वाहन (वाहन का मॉडल..........................., वाहन का निबंधन सं0–..............................., चेसिस नं0–..........................., ईंजन नं0–.....................) को जब्त कर ....थाना कांड सं0–............. दिनांक–................. दर्ज किया गया है। वाहन के अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में न्यायालय........................ द्वारा अधिहरण वाद सं0–.............. वर्ष........... में अधिहरित/राज्यसात् किया गया है।

प्रश्नगत वाहन की नीलामी दिनांक–.................. को .... बजे (परिसर)/Online Portal पर निर्धारित है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर नीलामी के संबंध में अपना विधिसम्मत् पक्ष/आपत्ति (यदि कोई हो) रखना सुनिश्चित करें ताकि नीलामी की अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

इसे सख्त ताकीद समझें।

सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/
अधीक्षक मद्यनिषेध
जिला का नाम–

अनुलग्नक–4

समाहरणालय (जिला का नाम)।

(मद्यनिषेध एवं उत्पाद शाखा)

पत्रांक................................../म0नि0

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
(जिला का नाम)।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

(जिला का नाम), दिनांकः–............................

विषयः–बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (यथा संशोधित) के तहत जब्त एवं अधिहरित किये गये वाहनों के नीलामी हेतु वाहन स्वामी के स्थानीय पते के व्यापक प्रचार–प्रसार वाले जिले के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (यथा संशोधित) के तहत जब्त एवं अधिहरित वाहनों की नीलामी दिनांक–.....................से नीलामी समिति/Online Portal के माध्यम से किया जाना है।

नीलामी की तिथि, स्थल एवं जब्त वाहनों से सूची के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए (राज्य का नाम) के (............................जिला का नाम) के व्यापक प्रचार प्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति की सी0डी0 के साथ भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को (राज्य का नाम) के (..........................जिला का नाम) के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अधीक्षक मद्यनिषेध

समाहर्त्ता,
(जिला का नाम)

ज्ञापांकः–......................................./म0नि0 दिनांकः–.......................

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक आयुक्त/अधीक्षक मद्यनिषेध
(जिला का नाम)

समाहर्त्ता,
(जिला का नाम)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016,2018 एवं 2022 के तहत अधिहरित वाहनो की विवरणी।

अनुलग्नक–5

जिला का नाम............................

क्र0 सं0	Lot No.	जब्त करने वाले विभाग का नाम पुलिस/उत्पाद	दर्ज FIR सं0 एवं दिनांक	वाहन का विवरणी				अधिहरण आदेश से संबंधित विवरणी			वह स्थान जहाँ वाहन को भौतिक रूप से रखा गया है		वाहन स्वामी का नाम	मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य	वाहन का चारो दिशाओ से ली गई फोटो जिसमें वाहन का पंजीयन संख्या दिख रहा हो	वाहनों की नीलामी हेतु नामित नोडल पदाधिकारी एवं उनका मोबाईल नं0	अभियुक्ति
				वाहन का प्रकार (2 पहिया/3 पहिया/4 पहिया/ट्रक/कंटेनर)	वाहन पंजीयन संख्या	चेचिस संख्या	ईंजन संख्या	Court का नाम	अधिहरण वाद संख्या	अधिहरण आदेश की तिथि	पुलिस/उत्पाद थाना का नाम	स्थल का सम्पूर्ण विवरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 अन्तर्गत जब्त वाहनों/भूमि/मकान की अधिहरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 सहपठित बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2021 (यथा संशोधित) के नियम–13 के अन्तर्गत जब्त वाहन/परिसर के अधिहरण का प्रावधान है।

1. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की **धारा–58** के अन्तर्गत समाहर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अधिहरण आदेश पारित करने हेतु सक्षम प्राधिकार हैं।
2. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 अन्तर्गत जब्त वाहन/परिसर के अधिहरण हेतु पुलिस थानो से संबंधित वादों में अनुसंधान पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समाहर्त्ता को अधिहरण प्रस्ताव प्रेषित करेंगे।

   उत्पाद थानो से संबंधित वादों में अनुसंधान पदाधिकारी, सहायक आयुक्त मद्यनिषेध /अधीक्षक मद्यनिषेध के माध्यम से समाहर्त्ता को अधिहरण प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। **(अनुलग्नक–1)**
3. प्रस्ताव के साथ जब्त शराब का जाँच प्रतिवेदन, वाहन स्वामी के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं वाहन का ब्यौरा यथा :–पंजियन संख्या, चेसिस नं0, ईंजन नं0 इत्यादि संलग्न किया जाए। **(अनुलग्नक–2)**

   भूमि / परिसर के मामले में भू–स्वामी एवं भूमि के विस्तृत ब्यौरा के संबंध में राजस्व पदाधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न किया जाए। **(अनुलग्नक–3)**
4. अधिहरण हेतु प्रस्ताव अनिवार्य रूप से जब्ती की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाहर्त्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए। विलम्ब की स्थिति में पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाए।
5. सभी दस्तावेजों के साथ अधिहरण प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् समाहर्त्ता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा वाहन स्वामी/भू–स्वामी को 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने हेतु निबंधित डाक से कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाए। **(अनुलग्नक–4)**
6. प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जारी ऐसे नोटिस का तामिला / समन की तामीला के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में विहित प्रक्रिया को अपनाया जाए।
7. यदि प्रस्ताव के साथ उत्पाद रसायन परीक्षक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न न हो तो साथ–साथ रसायन परीक्षक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी / राजस्व पदाधिकारी को उनके प्रतिवेदन के लिए भी नोटिस जारी किया जाए।

8. अधिहरण प्राधिकारी द्वारा वाहन स्वामी/भू–स्वामी को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करेगा। सुनवाई के क्रम में अनुसंधानकर्त्ता/जाँच पदाधिकारी को भी भाग लेने का अवसर दिया जाए।

9. यदि नोटिस तामिला के उपरान्त वाहन स्वामी/भू–स्वामी सुनवाई के लिए नियत लगातार दो तिथियों में उपस्थित होने में विफल रहता है तो अधिहरण प्राधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया जाए।

10. यदि अधिहरण वाद की सुनवाई के क्रम में किसी भी समय वाहन स्वामी/भू–स्वामी द्वारा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद नियमावली, 2022 के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित कर जुर्माना/दण्ड अधिरोपित कर वाहन/भूमि विमुक्ति हेतु अनुरोध किया जाता है तो अधिहरण प्राधिकार द्वारा इस पर विचार किया जाए। **(अनुलग्नक–5 एवं अनुलग्नक–6)**

11. यदि अधिहरण प्राधिकार यह पाते हैं कि वाहन/भूमि को विमुक्त करना लोकहित में नहीं है तो अधिहरण प्राधिकार द्वारा यह स्पष्ट करते हुए कि किस प्रकार वाहन/भूमि को विमुक्त करना लोकहित में नहीं है, मुखर आदेश पारित किया जाए।

12. वाहन की जब्ती के 90 दिनों के अन्दर अधिहरण आदेश पारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–92 अन्तर्गत आयुक्त उत्पाद के समक्ष अपीलीय होगा।

(अजय यादव)
सचिव

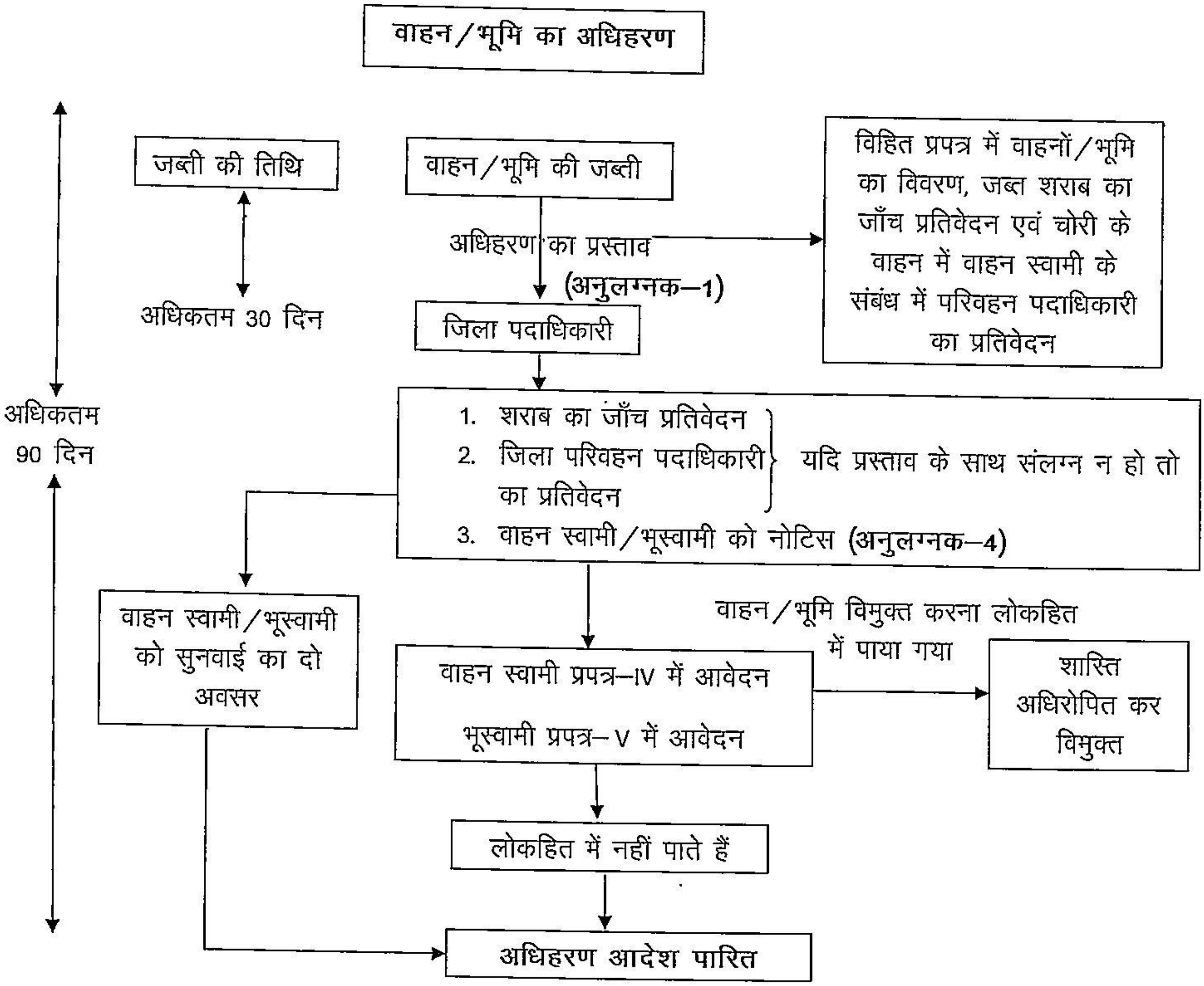
वाहन/भूमि का अधिहरण
जब्ती की तिथि
अधिकतम 30 दिन
वाहन/भूमि की जब्ती
अधिहरण का प्रस्ताव
(अनुलग्नक–1)
विहित प्रपत्र में वाहनों/भूमि का विवरण, जब्त शराब का जाँच प्रतिवेदन एवं चोरी के वाहन में वाहन स्वामी के संबंध में परिवहन पदाधिकारी का प्रतिवेदन
जिला पदाधिकारी
अधिकतम 90 दिन
1. शराब का जाँच प्रतिवेदन
2. जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रतिवेदन
यदि प्रस्ताव के साथ संलग्न न हो तो
3. वाहन स्वामी/भूस्वामी को नोटिस (अनुलग्नक–4)
वाहन स्वामी/भूस्वामी को सुनवाई का दो अवसर
वाहन स्वामी प्रपत्र–IV में आवेदन
भूस्वामी प्रपत्र–V में आवेदन
वाहन/भूमि विमुक्त करना लोकहित में पाया गया
शास्ति अधिरोपित कर विमुक्त
लोकहित में नहीं पाते हैं
अधिहरण आदेश पारित

अनुलग्नक–1

कार्यालय का नाम।

पत्रांक :.................. दिनांक......................

प्रेषक,

वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक
सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध,
जिला का नाम।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी
जिला का नाम।

विषयः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (समय समय पर संशोधित) के अधीन जप्त भूमि/मकान/वाहन के अधिहरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि पुलिस/मद्यनिषेध पदाधिकारी..द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक..................को छापेमारी के क्रम में भूमि/मकान/वाहन से अवैध चुलाई शराब /देशी शराब /विदेशी शराब /सुषव जप्त की गयी है। जब्त सामग्री की विधिवत जप्ती सूची तैयार करते हुए थाना कांड संख्या–..................दिनांक–..............दर्ज किया गया है। प्रस्तुत मामलो में शराब का जाँच प्रतिवेदन एवं भूस्वामी/वाहनस्वामी के संबंध में अंचलाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में जप्त भूमि/मकान/वाहन का बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत अधिहरण आदेश पारित करने की कृपा की जाय। इससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(पदाधिकारी का नाम एवं
पदनाम)

अनुलग्नक–2

वाहन का अधिहरण प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	दर्ज प्राथमिकी संख्या	जब्ती की तिथि	वाहन से जब्त शराब की मात्रा	अन्य बरामद वस्तुएं (यदि कोई हो तो)	काण्ड मे गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम	जाँच प्रतिवेदन (उत्पाद रसायन परीक्षक की प्रतिवेदन के आधार पर या अन्य)	वाहन का प्रकार (2 पहिया / 3 पहिया / 4 पहिया / ट्रक / कंटेनर)	वाहन पंजीयन संख्या	चेसिस संख्सा	ईजन संख्या	वाहन स्वामी का नाम / पता (D.T.O के प्रतिवेदन के आधार पर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम

अनुलग्नक–3

भूमि का अधिहरण प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	दर्ज प्राथमिकी संख्या	जब्ती की तिथि	जब्त शराब की मात्रा	अन्य बरामद वस्तुएं (यदि कोई हो तो)	काण्ड मे गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम	जाँच प्रतिवेदन (उत्पाद रसायन परीक्षक का प्रतिवेदन के आधार पर)	अवस्थिति एवं क्षेत्रफल	भूमि का Latitude एवं Longitude	अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर				
									खाता सं0	खेसरा सं0	थाना सं0	रकवा सं0	भूस्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम

सांकेतिक

अनुलग्नक–4

उत्पाद न्यायालय का नाम
जिला का नाम

पत्रांक–.................... दिनांक–...............................

वाहन/भूमि/परिसर अधिहरण वाद सं0–................../ वर्ष–....................

राज्य बनाम ....

नोटिस बनाम,

वाहन/भूमि/परिसर स्वामी का नाम –

पता – ....,

वाहन के मामले में (वाहन का मॉडल.........................., वाहन का निबंधन सं0–..................... चेसिस नं0–..........................., ईंजन नं0–.......................) / **भूमि अथवा परिसर के मामले में** (खाता सं0 ...., खेसरा नं0.............., रकबा ...., थाना नं0................, चौहद्दी ....) इत्यादि।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध ....थाना कांड सं0–............ वर्ष.... .... दिनांक–.................. में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 यथा संशोधित 2018 एवं 2022 के तहत् उत्पाद अधिहरण वाद सं0 .... वर्ष .... राज्य बनाम .... संधारित है। वाद की सुनवाई दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न .... के कार्यालय में निर्धारित की गई है।

उक्त वाद में वरीय पुलिस अधीक्षक/सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/अधीक्षक मद्यनिषेध, स्थान के पत्रांक .... दिनांक .... द्वारा संदर्भित वाहन/भूमि/परिसर का अधिहरण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि आप अपने ऊपर लगे आरोप के संबंध में न्यायालय में कारणपृच्छा दायर करना सुनिश्चित करें कि क्यो नहीं प्रश्नगत वाहन/भूमि/परिसर को राज्य के पक्ष में अधिहरित कर लिया जाए अथवा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 के नियम 12(क) के तहत् अपना वाहन/भूमि/परिसर शास्ति अधिरोपित कर विमुक्त कराना चाहतें हैं तो 15 दिनों के अंदर प्रपत्र–IV / V में आवेदन जमा करें। निर्धारित तिथि तक जवाब दाखिल नहीं करने/अनुपस्थित पाये जाने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए आदेश पारित कर दिया जाएगा।

इसे सख्त ताकीद समझें।

सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/
अधीक्षक मद्यनिषेध
जिला का नाम–

अनुलग्नक–5

प्रपत्र–IV
वाहन / सवारी छोड़ने के लिए प्रपत्र
नियम 12(क)

सेवा में,

समाहर्त्ता या प्राधिकृत पदाधिकारी,
जिला .... ।

1. आवेदक का नाम ....
2. उम्र ....
3. पिता का नाम ....
4. पता ....
5. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक अभियुक्त के रूप में नामित हैं या नहीं ....
6. वाहन से बरामद शराब की मात्रा (पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी के अनुसार) ....
7. वाहन/सवारी जिसे छोड़ा जाना है का ब्यौरा (पंजियन संख्या, चेसिस नं0, ईंजन नं0 इत्यादि) ....
8. वाहन बीमा : बीमाकृत मूल्य (रूपये में) .... वर्ष ....

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा समर्पित सूचना सही है। मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैं उक्त वाहन का स्वामी हूँ और मेरे वाहन को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए .... (तिथि) को .... (स्थान) में जब्त कर लिया गया था। **वाहन के मेरे स्वामित्व के समर्थन में, मैं वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और बीमा दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।**

मैं आगे घोषणा करता / करती हूँ कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने हेतु मैं इच्छुक हूँ। मैं जाँच में पुलिस / उत्पाद पदाधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए भी सहमत हूँ। जब कभी अपेक्षित हो मैं पुलिस/उत्पाद प्राधिकारियों या विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष स्वयं तथा वाहन को प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। मैं विचारण, यदि कोई हो, में भी विशेष न्यायालय के समक्ष सहयोग करूँगा / करूँगी।

मैं समझता हूँ कि विद्वान मजिस्ट्रेट मेरे आवेदन पर अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित किया है को राशि वापसी योग्य नहीं है और भविष्य में मैं कभी इसका दावा नहीं करूँगा / करूँगी।

मैं आगे घोषणा करता / करती हूँ कि वाहन पुनः किसी अपराध में शामिल नहीं होगा और मैं बिहार राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध के प्रवर्त्तन में सक्रिय रूप में सहयोग करूँगा।

मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा बिना भय या प्रपीड़न के उपर्युक्त आवेदन कर रहा हूँ।

आवेदक का नाम–

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–6

प्रपत्र–V
परिसर को छोड़ने के लिए प्रपत्र
नियम 12(ख)

सेवा में,

समाहर्त्ता या प्राधिकृत पदाधिकारी,
जिला .... ।

1. आवेदक का नाम ....
2. उम्र ....
3. पिता का नाम ....
4. पता ....
5. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक अभियुक्त के रूप में नामित हैं या नहीं ....
6. परिसर से बरामद शराब की मात्रा (पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी के अनुसार) ....
7. परिसर जिसे छोड़ा जाना है का ब्यौरा (पंजियन संख्या, चेसिस नं0, ईंजन नं0 इत्यादि) ....

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा समर्पित सूचना सही है। मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैं उक्त परिसर का स्वामी/संयुक्त स्वामी हूँ और मेरे परिसर को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए .... (तिथि) को .... (स्थान) में जब्त कर लिया गया था। **परिसर के मेरे स्वामित्व के समर्थन में, मैं परिसर का भूमि का दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।**

मैं आगे घोषणा करता / करती हूँ कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने हेतु मैं इच्छुक हूँ। मैं जाँच में पुलिस / उत्पाद पदाधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए भी सहमत हूँ। जब कभी अपेक्षित हो मैं पुलिस/उत्पाद प्राधिकारियों या विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। जब कभी अपेक्षित हो मैं उक्त परिसर के निरीक्षण की अनुमति दूँगा। मैं विचारण, यदि कोई हो, में भी विशेष न्यायालय के समक्ष सहयोग करूँगा / करूँगी।

मैं समझता हूँ कि विद्वान मजिस्ट्रेट मेरे आवेदन पर अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित किया है को राशि वापसी योग्य नहीं है और भविष्य में मैं कभी इसका दावा नहीं करूँगा / करूँगी।

मैं आगे घोषणा करता / करती हूँ कि परिसर पुनः किसी अपराध में शामिल नहीं होगा और मैं बिहार राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध के प्रवर्त्तन में सक्रिय रूप में सहयोग करूँगा।

मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा बिना भय या प्रपीड़न के उपर्युक्त आवेदन कर रहा हूँ।

आवेदक का नाम–

आवेदक का हस्ताक्षर